IV ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन में बेहतरी लाना रिज़र्व बैंक की प्रमुख प्राथमिकता रही है। इस दिशा में, एक बड़ा कदम किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू करना है जिसको एटीएम और हैंड हेल्ड उपकरणों में प्रयोग किया जाएगा। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक वित्तीय समावेशन गतिविधियों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इस दिशा में काफी अधिक प्रगति हो रही है। रिज़र्व बैंक ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना में इसको समाहित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस सरल और सुगम मॉडल से वित्तीय समावेशन के प्रयासों में और तेजी आने की संभावना है। रिज़र्व बैंक का अपना आउटरीच कार्यक्रम भी जागरुकता बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने में मददगार रहा है। वित्तीय समावेशन के कार्य की विशालता को देखते हुए, बैंको को अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों को बढ़ाने और उसे मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता हैं।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। इस क्षेत्र में बड़ी-बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं - जैसे समाज के उस वर्ग को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंदर लाना जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली की सीमा से बाहर है, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत बनाना। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने की नीति, जो काफी पहले से अस्तित्व में है, के अलावा हाल के वर्षों में कई कदम उठाए गये हैं जिसमें शामिल हैं: वित्तीय समावेशन योजना की शुरुआत करना और बिजनेस कारेस्पांडेंट मॉडल के दायरे को बढ़ाना, अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र से संबंधित ऋण सुपुर्दगी क्रियाविधि में सुधार लाना और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधानों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

IV.2 इस अध्याय का फोकस दो गुना है : एक, ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन की प्रगति का विश्लेषण करना, और दो, इन क्षेत्रों में भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपायों का एक आशुचित्र पेश करना। वर्तमान अध्याय को तीन भागों में बांटा गया है :ऋण सुपुर्दगी, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता। ऋण सुपुर्दगी वाले भाग को फिर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार, अग्रणी बैंक योजना, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विशेष व्यवस्था योजना, ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बांटा गया है।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

IV.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को प्रेरित करना और उनके लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाना है जिनको अन्यथा बैंकों से ऋण लेना मुश्किल होता है। शिक्षा, आवास आदि के अलावा कृषि और माइक्रो तथा लघु उद्यम दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार दिये जाते हैं। वर्तमान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कुल अग्रिमों का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत अथवा ओबीई के ऋण के बराबर है, जो देशी बैंकों के लिए अधिक है और विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत है (सारणी IV.1)। इस संबंध में मैक्रोफाइनेंस संस्थाओं पर मालेगाम समिति की सिफारिशों और अन्य हितधारियों के इसी प्रकार के अनुरोधों को देखते हुए, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गयी। रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में एक समिति बनाई जिसने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशों को टिप्पणियों और सुझावों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है (बॉक्स IV.1)। विभिन्न हितधारियों के साथ इंटर फेस के आधार पर और भारत सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, उद्योग संघों, सार्वजनिक और

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(राशि ₹ बिलियन में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2011	10,215	2,491	667
	(41.0)	(46.7)	(39.7)
2012	11,299	2,864	805
	(37.4)	(39.4)	(40.8)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित समूहों में समायोजित निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) के ऋण के समकक्ष, जो भी उच्चतर हो, के हैं।
2. वर्ष 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।

बॉक्स IV.1
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी समिति

माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं पर अध्ययन करने के लिए गठित रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल की उप समिति (मालेगाम समिति) ने सिफारिश की है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को बैंक उधार देने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार किया जाए। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से वहां से जहां अन्य एजेंसियों के माध्यम से बैंक वित्त प्रदान किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 में यह घोषणा की गई है कि '' प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के वर्तमान वर्गीकरण की जांच करने और इस क्षेत्र के उधारों के वर्गीकरण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तदनुसार, श्री एम.वी. नायर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने 21 फरवरी 2012 को अपनी रिपोर्ट दी।

समिति की इस रिपोर्ट को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है जिसमें बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, अन्य संस्थाओं और जनसाधारण के विचार / टिप्पणियां मांगी गई हैं।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

देशी बैंकों के लिए लक्ष्य

- देशी बैंकों के लिए समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत बनाए रखा जाए। कृषि, माइक्रो और लघु उद्यम, माइक्रोक्रेडिट, शिक्षा, आवास, घरों के लिए ऑफ -ग्रिड ऊर्जा समाधान और निर्यात ऋण (केवल विदेशी बैंकों के लिए) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा होंगे।
- कृषि क्षेत्र को उधार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच बिना भेद किए 'कृषि और सहायक गतिविधियों' के समग्र क्रियाकलापों को शामिल किया जाएगा और समायोजित निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए लक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है।
- बैंकों द्वारा लघु और सीमांत किसानों को दिए गए ऋण के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 9 प्रतिशत का केन्द्रित उपलक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसे चरणों में 2015-16 तक अवश्य प्राप्त किया जाए।
- इसी प्रकार, बैंकों द्वारा अति लघु उद्यमों को दिये गये ऋण के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 7 प्रतिशत का केन्द्रित उपलक्ष्य रखा जाए जिसे चरणों में 2013-14 तक अवश्य प्राप्त किया जाए।

विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य

- विदेशी बैंकों के लिए, समिति ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए कुल 40 प्रतिशत तथा माइक्रो और लघु उद्यम तथा निर्यात ऋण प्रत्येक के लिए 15 प्रतिशत के लक्ष्य की सिफारिश की है। ₹100 मिलियन तक की निर्यात ऋण की सीमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गणना के प्रयोजन के लिए पात्र होगी।
- इसके अलावा, माइक्रो उद्यमों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण के 7 प्रतिशत के बराबर एक केन्द्रित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य की सिफारिश की गयी है।

घरों के लिए ऑफ -ग्रिड ऊर्जा समाधान

- घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरण योग्य ऊर्जा समाधानों को लगाने के लिए व्यक्तियों को दिये गये ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

कमजोर वर्ग

- किसी महिला को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय समूह को दिए गए आवास ऋण को कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण के रूप में माना जाए, यह ऋण लाभार्थियों के वर्तमान वर्गों के अलावा होगा। कमजोर वर्ग के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत का वर्तमान लक्ष्य स्तर बनाये रखा जाए। समायोजित निवल बैंक ऋण का 6 प्रतिशत से अनधिक निम्नलिखित को उधार देने के लिए माना जाए (क) पात्र छोटे और सीमांत किसान तथा (ख) पात्र ग्रामीण और कुटीर उद्योग तथा कारीगरों को एक साथ मिलाकर।

ब्याज योजना की विभेदक दर

- ब्याज की विभेदक दर योजना को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि सरकार प्रायोजित योजनाएं बेहतर सुविधाओं के साथ उन्हीं लाभार्थियों को लक्ष्य बनाती हैं।

गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों को ऋण

- विशिष्ट वर्गों को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों को स्वीकृत बैंक ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए गिना जाए, यह ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण का अधिकतम 5 प्रतिशत तक होगा।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र

- प्रायोगिक आधार पर, गैर विपणनीय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों की अनुमति दी जाए जिसमें बाजार सहभागी के रूप में देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक शामिल होंगे।

कृषि ऋण जोखिम गारंटी योजना

- सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) की तरह छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण जोखिम गारंटी निधि बनाए जाने की सिफारिश की गई है जो कृषि क्षेत्र को दिये गये उधारों के जोखिमों के निराकरण की एक कुशल व्यवस्था होगी।

भारतीय बैंक संघ से प्राप्त विचारों / सुझावों के आलोक में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश 20 जुलाई 2012 को जारी किए गये। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत समग्र लक्ष्य 40 प्रतिशत रखा गया है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृषि उधार के लक्ष्य को अपरिवर्तित रखा गया है। 1 अप्रैल 2013 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि

में उन विदेशी बैंकों, जिनकी देश में 20 अथवा अधिक शाखाएं हैं, को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के लिए देशी बैंकों के बराबर लाया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना

IV.4 2011-12 में केन्द्रीय बजट में कृषि ऋण के लिए ₹4,750 बिलियन के लक्ष्य की घोषणा की गयी। इस लक्ष्य की तुलना में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों ने ₹5,110 बिलियन संवितरित किये जो मार्च 2012 के अंत में लक्ष्य का 108 प्रतिशत थे। वर्ष 2012-13 के लिए, सरकार ने सभी एजेंसियों द्वारा कृषि के लिए संवितरित करने हेतु ₹5,750 बिलियन का लक्ष्य रखा है। बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि को उधार और लघु तथा सीमांत किसानों को दिए जाने वाले ऋण सीधे तौर पर देना तेज करें।

कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की रिकवरी

VI.5 पिछले तीन वर्षों (जून 2011 तक) के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की वसूली में मामूली गिरावट आई है (सारणी IV.2)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

IV.6 किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी साधन है। केन्द्रीय बजट 2011-12 में घोषणा की गयी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि इसे स्मार्ट कार्ड बनाया जा सके और इसको एटीएम में प्रयोग किया जा सके। वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड योजना को सरल और अनुकूल बनाने के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री टी.एम. भसीन, मुख्य प्रबंध निदेशक, इंडियन बैंक) गठित किया गया है। इस कार्य दल ने मानकीकृत किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू करने और एटीएम / हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन में प्रयोग के लिए ऐसे

सारणी IV.2: कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों की वसूली

(₹ बिलियन में)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2009	1,190	907	284	76.1
2010	1,244	922	322	74.1
2011*	1,282	945	332	73.7

*आंकड़े अनंतिम हैं।

उपयुक्त बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए विशिष्ट तकनीकी विवरणों की सिफारिश की है जिसमें किसानों की पहचान, आस्तियों, भूमि जोतों तथा ऋण प्रोफाइल संबंधी पर्याप्त जानकारी रखने की क्षमता हो। सरकार ने कार्य दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, इसके बाद रिज़र्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन किया है।

ब्याज दर सहायता योजना

IV.7 केन्द्रीय बजट 2011-12 में 0.3 मिलियन तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के लिए ब्याज दर सहायता को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है जबकि जिन किसानों ने शीघ्र भुगतान किया था उनके लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे ऐसे किसानों से ली जाने वाली प्रभावी वार्षिक ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत हो गई है।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना

IV.8 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत सरकार उधार देनेवाली संस्थाओं को चरणबद्ध रूप में प्रतिपूर्ति करती रही है (सारणी IV.3)।

सारणी IV.3: उधार देने वाली संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रतिपूर्ति की राशि

(₹ बिलियन में)

उधार देने वाली संस्थाएं	पहली किस्त सितंबर 2008	दूसरी किस्त जुलाई 2009	तीसरी किस्त जनवरी 2011	चौथी किस्त नवंबर 2011	पांचवी किस्त मार्च 2012
1	2	3	4	5	6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं	175.0	105.0	12.4	0.4	0.0
अनु. वाणिज्य बैंक, शहरी सह. बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक	75.0	45.0	101.0	10.4	1.0
कुल	**250.0**	**150.0**	**113.4**	**10.8**	**1.0**

टिप्पणी : आंकड़े चालू अनंतिम अनुमानों पर आधारित हैं।

IV.9 सरकार ने अब तक पांच किस्तों में ₹525 बिलियन मंजूर और संवितरित किये हैं। इसमें से ₹293 बिलियन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रतिपूर्ति के लिए नाबार्ड को दिये गये हैं। ₹232 बिलियन की शेष राशि की प्रतिपूर्ति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को दी गयी है।

अति लघु, लघु और मझौले उद्यमों को ऋण

IV.10 2011-12 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को दिये गये ऋण में तीव्र गिरावट दिखी (सारणी IV.4)।

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि

IV.11 सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उन देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित आधारभूत निधि की सीमा तक कम उधार दी गयी राशि को नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत विकास निधि में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक की अन्य निधियों में जमा करना पड़ता है। भारत में कार्यरत उन विदेशी बैंकों को भी जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित आधारभूत निधि की सीमा तक कम उधार दी गयी राशि को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारण के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं की कतिपय निधियों में जमा करना पड़ता है।

सारणी IV.4 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अति लघु और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण

मार्च के अंतिम शुक्रवार को	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (बिलियन रुपये में)	
1	2	3	4
2011	9.3 (9.4)	4785.3 (32.1)	15.0
2012	9.9 (6.45)	5,286.2 (10.47)	13.4

टिप्पणी: 1. 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशत में हुए वर्ष-दर-वर्ष बदलाव को दर्शाते हैं।

IV.12 वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषित किया है कि ₹200 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ ग्रामीण आधारभूत विकास निधि XVIII नाबार्ड में बनाई जाएगी, साथ ही ₹50 बिलियन आधारभूत निधि के साथ वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तीयन के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत एक अलग विंडो बनाई जाएगी। इसके अलावा, ₹50 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ अति लघु, लघु और मझौले उद्यम (पुनर्वित्त) निधि, ₹100 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि और ₹40 बिलियन की आधारभूत निधि के साथ ग्रामीण आवास निधि क्रमशः सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक में बनाई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि वर्ष 2012-13 के लिए दो नई निधियों अर्थात् अल्पकालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि और इंडिया एपोर्चुनिटी वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी जिसमें क्रमशः ₹100 बिलियन और ₹ 20 बिलियन की मूल निधि होगी।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की कार्ययोजना

IV.13 अप्रैल 2010 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, 2000 के ऊपर जनसंख्या वाले हरेक गांव में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की योजना को राज्यस्तरीय बैंकर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 गांवों की बैंक सुविधा रहित गांवों के रूप में पहचान की गयी है। इन गांवों को मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया है। बैंकों ने 74,199 (99.7 प्रतिशत) बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर कर लिया है। अब यह चुनौती है कि देश के सभी बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर कर लिया जाए। तदनुसार, राज्यस्तरीय बैंकर समिति से कहा गया है कि वह 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक सुविधा रहित सभी गांवों को शामिल करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करे और समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन गांवों को बैंकों को आनुमानिक रूप से आबंटित करे।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति की बैठकें

IV.14 वर्ष के दौरान राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आयोजक बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे वर्ष 2012 की बैठकों की तारीख का वार्षिक कैलेंडर तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यालयों ने उन

वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तारीखों को ब्लॉक कर दिया है जिनके चारों बैठकों में भाग लेने की संभावना है। राज्यस्तरीय बैंकर समिति की बैठकों के आयोजन की निरंतर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र बनाया गया है।

IV.15 वेबसाइट को एक प्रभावी संचार का माध्यम बनाने के लिए, बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे विभिन्न राज्यों की राज्यस्तरीय बैंकर समिति की वेबसाइटों में कम-से-कम मानकीकृत जानकारियां और डेटा रखें और उनको नियमित तौर पर अद्यतन करते रहें।

जिलों की अग्रणी बैंक जिम्मेदारी

IV.16 अग्रणी बैंकों को सौंपे गये जिलों की संख्या मार्च 2011 में 625 से बढ़कर मार्च 2012 में 630 हो गयी। पंजाब नैशनल बैंक को पंजाब के दो नये जिलों और उत्तर प्रदेश के एक नये जिले की अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जबकि उत्तर प्रदेश के दो नये जिलों की अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सिंडिकेट बैंक को सौंपी गयी है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र - विशेष व्यवस्था योजना

IV.17 वर्ष 2008 के दौरान रिज़र्व बैंक ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को प्रेरित करने हेतु एक विशेष व्यवस्था योजना बनाई। योजना के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक एकबारगी पूँजी लागत तथा पांच वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती व्यय वहन करेगा जबकि राज्य सरकार परिसर, शाखा की सुरक्षा और बैंक स्टाफ के लिए किराए का आवास उपलब्ध कराएगी। राज्यस्तरीय बैंकर समिति ने राज्य सरकार के परामर्श से पांच उत्तर -पूर्व राज्यों में 42 'सहमत केन्द्रों' की पहचान की है। जून 2012 तक इनमें से 34 केन्द्रों में शाखाएं खोली गईं।

IV.18 विशेष व्यवस्था योजना इस तर्क के आधार पर शुरू की गई थी कि बैंक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मुख्य रूप से लागत के कारण अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा सके हैं। यदि रिज़र्व बैंक लागत वहन करे तो इससे बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार हो सकेगा। विशेष व्यवस्था योजना के अंतर्गत बैंक शाखाओं को खोलने की प्रवृत्ति से साफ तौर पर पता चलता है कि लागत के बजाय इन हिस्सों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार में अवरोधक सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मूल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा है। इस प्रकार बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार मूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के संबंधित राज्य सरकारों के प्रयासों पर अधिक निर्भर है।

IV.19 उपर्युक्त कारकों और इस तथ्य को देखते हुए कि विशेष व्यवस्था योजना अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती, बैंकों को सलाह दी गई कि वे 30 जून 2012 तक आबंटित सहमत केन्द्रों में शाखाएं खोलें ताकि वे रिज़र्व बैंक द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति के लाभ उठा सकें।

ग्रामीण सहकारी बैंक

ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे का पुनः प्रवर्तन

IV.20 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनः प्रवर्तन पर बने कार्य दल (अध्यक्ष: प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से, भारत सरकार ने अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनः प्रवर्तन के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया था। पैकेज में प्रणाली की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रजातांत्रिक, आत्म निर्भर और सक्षम कार्यकलापों के लिए आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार लाने और प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय करने की व्यवस्था की गई है। सहभागिता के इच्छुक राज्यों को केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। कुल मिलाकर, पैकेज के अनुसार 25 राज्यों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसमें देश की अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की इकाइयों का 96 से अधिक कवर हो गया है। इक्कीस राज्यों ने विधायी प्रक्रिया द्वारा अपने-अपने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों को संशोधित किया है।

IV.21 सत्रह राज्यों में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 31 मार्च 2012 तक नाबार्ड द्वारा ₹90 बिलियन की कुल राशि जारी की गई है जबकि राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से के रूप में ₹9 बिलियन जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति अखिल भारतीय आधार पर पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन तथा निगरानी कर रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ऋण और अन्य सुविधाएं विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों जैसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर / वंचित

वर्ग को प्रदान करके मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। इस प्रकार, ये बैंक कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए अपनाए गए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में विशेष स्थान रखते हैं।

सीबीएस के कार्यान्वियन की स्थिति

IV.23 बेहतर ग्राहक सेवाओं के लिए सही प्रौद्योगिकी अपनाने तथा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में अंतरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तैयार करने हेतु रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री जी. श्रीनिवासन) बनाया था। रिपोर्ट में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीबीएस में अंतरण हेतु लक्ष्य तिथि सितंबर 2011 रखी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सितंबर 2009 के बाद खोली गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं उसी दिन से सीबीएस अनुपालित होनी चाहिए। वर्तमान में, देश में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। 31 मार्च 2012 को 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस लागू किया जा चुका है जिनके अंतर्गत 16,741 शाखाएं शामिल हैं। दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक को अभी सीबीएस प्लेटफार्म में अंतरित होना है।

वित्तीय समावेशन

IV.24 अप्रैल-जून 2011 के बीच विश्व बैंक दल द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किया गया जिसमें 3,518 उत्तरदाताओं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया गया। इस सर्वेक्षण में उत्तर-पूर्वी राज्यों और दूर-दराज के स्थानों, जिनका कुल वयस्क आबादी में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है, को शामिल नहीं किया गया है। सर्वेक्षण के सुझावों से पता चलता है कि भारत बैंक खाता खोलने में विकासशील देशों से पीछे है, लेकिन औपचारिक संस्थाओं से उधार लेने के मामले में वैश्विक औसत के काफी नजदीक है। भारत में, 35 प्रतिशत लोगों के पास औपचारिक खाते हैं जबकि वैश्विक औसत 50 प्रतिशत का है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का औसत 41 प्रतिशत है (सारणी IV.5)। इस सर्वेक्षण में 'भारत में मोबाइल के जरिए धन अंतरण की धीमी वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है, वैश्विक फिनडेक्स सैम्पल रिपोर्ट के अनुसार केवल 4 प्रतिशत वयस्कों ने बिल के भुगतान अथवा धन भेजने या प्राप्त करने के लिए पिछले 12 महीनों में मोबाइल फोन का प्रयोग कियाट।

IV.25 मार्च 2012 तक 2000 के ऊपर जनसंख्या वाले पहचान किए गए 74,414 गांवों तक बैंकिंग सेवाएं लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और इसके पश्चात इसे कालांतर में सभी गांवों तक बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय वर्ष के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों को आबंटित करें (बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र टियर 5 और टियर 6 के वे केन्द्र होते हैं जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेन-देन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की ईंटे-गारे की कोई शाखा नहीं है)।

IV.26 टियर 2 के केन्द्रों में और अधिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु, टियर 3 और टियर 6 के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गई सामान्य अनुमति टियर 2 के केन्द्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,000 की जनसंख्या वाले) तक बढ़ा दी गयी है।

सारणी IV.5: भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी प्रमुख सांख्यिकी - एक सर्वेक्षण

(प्रतिशत)

	औपचारिक वित्तीय संस्था में खाते में हिस्सा			पिछले वर्ष में वयस्कों द्वारा बचत		पिछले वर्ष में वयस्कों द्वारा लिए गए नए ऋण		वयस्कों के पास क्रेडिट कार्ड	बकाया गिर्वी वाले वयस्क	स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वयं भुगतान करने वाले वयस्क	वयस्क जिन्होंने पिछले वर्ष में मोबाइल मनी का उपयोग किया
	सभी वयस्क	सबसे गरीब आय वाले बीस प्रतिशत	महिला	औपचारिक खाते का प्रयोग करते हुए	समुदाय आधारित पद्धति के माध्यम से	औपचारिक वित्तीय संस्था से	परिवार या दोस्तों से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत	35	21	26	12	3	8	20	2	2	7	4
विश्व	50	38	47	22	5	9	23	15	7	17	7

स्रोत: अस्ली डेमीरगुक - कुंत और क्लेप्पर, एल (2012) 'मीजरिंग फाइनेंशियल इन्क्लुशनट, *पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर,* 6025, विश्व बैंक।

IV.27 वित्तीय समावेशन को और बढ़ाने के लिए, कतिपय शर्तों के अधीन खुदरा आउटलेट अथवा बिजनेस कारेस्पांडेंट के उप एजेंटों (अर्थात ग्राहक इंटरफेस के स्थान पर) को अंतर-परिचालनीयता की अनुमति दी गई है बशर्ते जिस बैंक ने बिजनेस कारेस्पांडेंट नियुक्त किया है उस बैंक के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी अंतर-परिचालनीयता का समर्थन करती हो। ग्राहक इंटरफेस के स्थान पर बिजनेस कारेस्पांडेंट अथवा इसके खुदरा आउटलेट अथवा उप एजेंट उस बैंक का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे जिसने उसे बिजनेस कारेस्पांडेंट नियुक्त किया है।

IV.28 वित्त मंत्री के 2012-13 के बजट भाषण तथा 2012-13 की रिज़र्व बैंक की वार्षिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणा के आधार पर, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे वर्तमान मूल शाखा और बिजनेस कारेस्पांडेंट स्थानों के बीच ईंटे-गारे वाला मध्यवर्ती ढांचा (ग्रामीण केंद्रों में) स्थापित करें जिससे लगभग 3-4 किलोमीटर के समुचित अंतर में बिजनेस कारेस्पांडेंट इकाइयों के समूह (लगभग 8-10 बीसी) को सपोर्ट दी जा सके। ऐसी शाखाओं के पास न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे पास बुक प्रिंटर से संबद्ध कोर बैंकिंग समाधान टर्मिनल और ग्राहकों के बड़े लेनदेनों को परिचालित करने के लिए नकदी रखने हेतु एक तिजोरी, तथा इसका प्रबंधन बैंक के अपने अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पूर्णकालिक तौर पर किया जाना चाहिए। ऐसी आशा है कि ऐसी व्यवस्था से नकदी प्रबंधन, दस्तावेजीकरण, ग्राहक शिकायत निवारण तथा बिजनेस कारेस्पांडेंट के क्रिया-कलापों की नजदीकी से निगरानी में बेहतरी आएगी।

बैंकों की वित्तीय समावेशन योजना

IV.29 रिज़र्व बैंक ने सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे अप्रैल 2010 से मार्च 2013 तक कार्यान्वित की जाने वाली अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें तथा उसे प्रस्तुत करें। इस वित्तीय समावेशन योजना में ईंटे-गारे वाली शाखाएं खोलने, बिजनेस कारेस्पांडेंट की नियुक्ति करने, विभिन्न तरीकों से बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर करने, नो फ्रिल्स खाते खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने आदि से संबंधित स्व -निर्धारित लक्ष्य दिए जाएं।

IV.30 वित्तीय समावेशन योजना के शुभारंभ से वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा की गई प्रगति से साफ तौर पर पता चलता है कि बैंक बिजनेस कारेस्पांडेंट नियुक्त करने, बैंकिंग आउटलेट खोलने, नो फ्रिल्स खाते खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्रदान करने जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं (सारणी IV.6)। वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पैठ तेजी से बढ़ी है। नो फ्रिल्स

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रगति

(₹ बिलियन में)

विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2011 की तुलना में मार्च 2012 में घट-बढ़
1	2	3	4	5
नियोजित बिजनेस कारेस्पडेंट/ बीसी एजेंटों की संख्या	33,042	57,329	95,767	62,725
2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या	27,353	54,246	82,300	54,947
2,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या	26,905	45,937	65,234	38,329
गावों में कुल बैंकिंग आउटलेट की संख्या	**54,258**	**1,00,183**	**1,47,534**	**93,276**
जिसमें से :				
क) शाखाओं के माध्यम से	21,475	22,662	24,701	3,226
ख) बिजनेस कारेस्पडेंट के माध्यम से	32,684	77,138	1,20,355	87,671
ग) अन्य तरीकों के माध्यम से	99	383	2,478	2,379
बिज़नेस कारेस्पांडेंट के जरिए शामिल शहरी स्थान	433	3,757	5,875	5,442
नो फ्रिल खाते				
संख्या (मिलियन में)	50.3	75.4	105.5	55.2
राशि (₹ बिलियन में)	42.6	57.0	93.3	50.7
नो फ्रिल खातों में लिया गया ओवरड्राफ्ट				
संख्या (मिलियन में)	0.1	0.5	1.5	1.4
राशि (₹ बिलियन में)	0.1	0.2	0.6	0.5
किसान क्रेडिट कार्ड				
खातों की संख्या (मिलियन में)	15.9	18.2	20.3	4.4
बकाया राशि (₹ बिलियन में)	940.1	1237.4	1651.5	711.4
सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड				
खातों की संख्या (मिलियन में)	0.9	1.0	1.3	0.4
बकाया राशि (₹ बिलियन में)	25.8	21.9	27.3	1.6
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित खाते				
खातों की संख्या (मिलियन में)	12.6	29.6	52.1	39.5
वर्ष के दौरान लेनदेनों की संख्या (मिलियन में)	18.7	64.6	119.3	183.9

खातों में लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे खातों में छोटे-छोटे ओवरड्राप्ट दें जिनके कारण ऐसे खातों की सुदृढ़ वृद्धि में मदद मिली है। घर तक सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाने वाले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेंट मॉडल का प्रभाव बढ़ रहे लेनदेनों की प्रवृत्ति में देखा जा सकता है।

IV.31 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेंट आउटलेट के माध्यम से लेनदेनों की संख्या उत्साहवर्धक होने पर भी, बैंकिंग आउटलेट की संख्या में हुई कई गुना वृद्धि की तुलना में, काफी कम है। अब निगरानी का मूल ध्यान नो फ्रिल्स खातों की संख्या और लेनदेनों के मूल्य के तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेंट आउटलेट के माध्यम से संवितरित ऋण पर भी है। इस दिशा में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने मुख्यालय द्वारा तैयार की गई वित्तीय समावेशन योजना का संबंधित नियंत्रक कार्यालयों के स्तर पर और फिर शाखा स्तर पर विस्तृत विवरण तैयार करें तथा इसकी प्रगति की आवधिक तौर पर निगरानी करें।

IV.32 इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) योजना ठएक जिला-एक बैंकड मॉडल के अंतर्गत चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। अब तक प्राप्त अनुभव से पता चला कि ठएक जिला-एक बैंकड मॉडल वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। इस मामले को राज्य सरकारों और बैंकों द्वारा विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। वित्तीय समावेशन के प्रयास के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पैठ गई गुना बढ़ी है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि बैंकों के वित्तीय समावेशन योजना के साथ ईबीटी कार्यान्वयन की एकरूपता को सुनिश्चित करके पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के कार्यान्वयन को बढ़ाया जाए। संकल्पनागत तौर पर स्पष्ट समझ के लिए तथा विस्तृत परामर्शक बैठकों और हितधारियों से इंटरफेस के आधार पर, ''इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना के साथ इसकी एकरूपता पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश'' बनाए गए। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत 'एक जिला-कई बैंक-एक अग्रणी बैंक मॉडल' की सिफारिश की गई है ताकि वित्तीय समावेशन योजना को प्रोत्साहन दिया जा सके (बॉक्स IV.2)।

बॉक्स IV. 2
इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) और इसकी वित्तीय समावेशन योजना के साथ एकरूपता

समावेशी वृद्धि के अपने विजन के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक देश की अब तक बैंक सुविधा रहित आबादी को किफायती लागत पर प्रभावी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। इस प्रयोजन के लिए, हमारे देश में वित्तीय समावेशन के प्रौद्योगिकी आधारित ''बैंक प्रधान'' मॉडल को अपनाया गया है। देश के अब तक बैंक सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग नेटवर्किंग के प्रसार में बैंकों द्वारा किये गये प्रयास को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांन्सफर कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गयी, जिससे ईबीटी कार्यान्वयन और बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाओं के बीच एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2011 को ''इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांन्सफर के कार्यान्वयन और इसकी वित्तीय समावेशन योजना के साथ एकरूपता के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देश'' जारी किये। रिज़र्व बैंक ने ईबीटी कार्यान्वयन के लिए ''एक जिला-कई बैंक-एक अग्रणी बैंक मॉडल'' के उपयोग की वकालत की है।

इस मॉडल में, जिले में मौजूद सभी बैंक ईबीटी में भाग लेंगे, यद्यपि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य सरकार को केवल एक अग्रणी बैंक के साथ लेन-देन करना होगा। राज्य सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से अग्रणी बैंक का निर्धारण करेगी। इस बैंक को राज्य सरकार से धन प्राप्त होगा तथा यह अंतिम लाभार्थियों के खातों में जमा करने के लिए, अन्य बैंकों को अंतर-बैंक अंतरण के माध्यम से निधियों के अंतरण की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार प्रत्येक सामाजिक लाभ योजना के प्रशासन के लिए एक नोडल विभाग निर्धारित करेगा। नोडल विभाग लाभार्थियों की सूची प्रदान करेगा और बैंक नामांकन तथा उनके बैंक खाते खोलने की व्यवस्था करेंगे। नोडल विभाग अग्रणी बैंक में अपने नाम पर एक बचत खाता रखेगा। बैंक में रखे गये विभाग के खाते में राज्य सरकार के कोषागार बैंक द्वारा एक समेकित राशि जमा की जाएगी। विभाग प्रत्येक माह अग्रणी बैंक को अनुदेश देगा जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाभार्थियों की अद्यतन सूची होगी। इसके पश्चात बैंक नोडल विभाग के बचत खाते से राशि निकालकर लाभार्थियों के खातों में जमा करने की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली स्वयमेव ही सुदृढ़ हो जाएगी क्योंकि भुगतान सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से और अबाध रूप से एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाह होगा जिससे विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों को जनरेट करने के लिए डेटा बेस तैयार हो सकेगा।

चूंकि ईबीटी योजना समग्र वित्तीय समावेशन योजना का एक हिस्सा है, ईबीटी खाताधारकों को भी जमा योजना, ओवरड्राफ्ट के साथ बचत खाता, प्रेषण और सामान्य क्रेडिट कार्ड / किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उद्यम क्रेडिट ऋण उत्पाद जैसी अनुमत संपूर्ण बैंक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार, ईबीटी कार्यान्वयन से लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सीधे तौर पर उनके खाते में जमा किया जा सकेगा और इस तरह सरकारी कार्यकर्ताओं की लागत और समय की बचत होगी जो भारी मात्रा में तथा कम राशि का भुगतान मैन्युअल रूप से करने में लगती।

वित्तीय साक्षरता प्रयास

IV.33 वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण तथा अंतत: वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण सहायक माना जाता है। वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता को साथ-साथ चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि सामान्य आदमी औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादों और सेवाओं की जरूरत एवं लाभों को समझ सके। भारत में साक्षरता के निम्न स्तर और जनसंख्या के बहुत बड़े भाग के औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अभी भी बाहर होने के कारण वित्तीय साक्षरता की जरूरत कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में वित्तीय साक्षरता को ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगा है क्योंकि वित्तीय बाजार बहुत अधिक जटिल हो गया है तथा सामान्य व्यक्ति को सभी बातों पर विचार करके निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, हमारे देश में घरेलू बचतों का प्रतिशत अधिक होने के कारण, वित्तीय साक्षरता घरेलू बचतों के प्रभावी आबंटन और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तियों की योग्यता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम ने जागरुकता बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने में मदद की है (बॉक्स IV.3)।

IV.34 विभिन्न हितधारियों द्वारा बढ़ावा दी जा रही वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मांग पक्ष इनपुट माना गया है। सभी वित्तीय विनियामकों और अन्य हितधारियों के द्वारा किए गए प्रयासों में प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर एक तकनीकी दल बनाया गया है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारत सरकार,

बॉक्स IV.3
रिज़र्व बैंक का आउटरीच कार्यक्रम

भारतीय रिज़र्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम में रिज़र्व बैंक का उच्च प्रबंध-तंत्र शामिल होता है - जैसे गवर्नर, उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक। वे देश के विभिन्न गांवों में जाते हैं। आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से ग्रामांचल के लोगों को जोड़ने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और स्थानीय सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को समझने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। साथ ही, वे उन्हें यह बताते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक उनके लिए क्या कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे आरबीआई से क्या उम्मीद रखते हैं। आउटरीच दौरों के समय, औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र तथा रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली से जुड़ने के लाभों की जानकारी भाषण, स्किट, पोस्टर, लघु फिल्म, पैम्फलेट, वित्तीय साक्षरता पर कॉमिक पुस्तकों के वितरण (राजू और दी मनी ट्री, मनी कुमार आदि), स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, सभा स्थल पर रखे किओस्क के जरिए दी जाती है। सभास्थल पर जानकारी दिए जाने के अलावा नोटों और सिक्कों का विनिमय भी किया जाता है। लक्ष्य समूह में विद्यार्थियों, स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों, गांववासियों, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकरों, सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों, गृहणियों, पंचायत सदस्यों, दैनिक मजदूरी कमाने वालों और सुरक्षा कार्मिकों को शामिल किया गया है।

पिछले 3 साल के दौरान रिज़र्व बैंक के उच्च कार्यपालकों द्वारा देश भर में फैले 115 गांवों में आउटरीच दौरे किये गये हैं। इन गांवों में, वित्तीय समावेशन की प्रगति के विश्लेषण से पता चलता है कि 73 प्रतिशत गांव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बिजनेस कारेस्पांडेंट मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जबकि शेष गांवों को ईट-गारे की शाखाओं के माध्यम से कवर किया गया है। खातों, विशेष रूप से नोफ्रिल खातों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है। लेनदेन हैंड हेल्ड उपकरण पर स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करके प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से बिजनेस कारेस्पांडेंट के माध्यम से किए जा रहे हैं। सामाजिक लाभों को सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम ने कई छोटे-छोटे गांवों के समग्र कल्याण में सुधार लाने में मदद की है।

चार्ट 1: आउटरीच कार्यक्रम में कवर किए गए गांवों में प्रगति

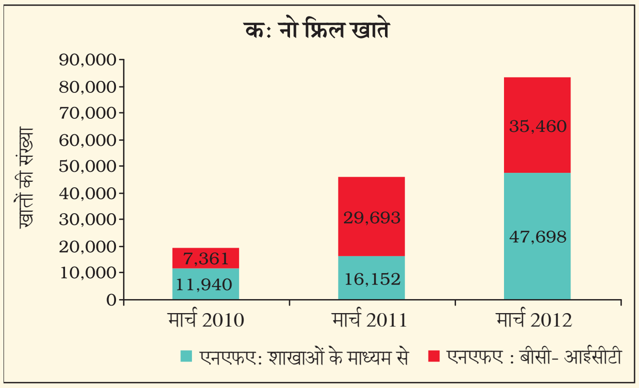

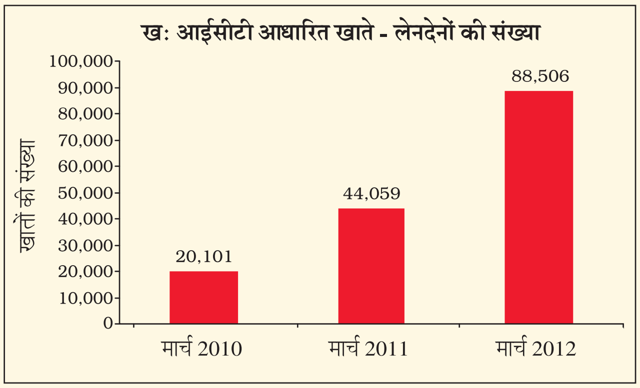

राज्य सरकारों तथा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड आदि के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इस समूह की तिमाही अंतराल में बैठक होती है, इसकी पहली बैठक नवंबर 2011 को आयोजित की गई, इसके पश्चात फरवरी और मई 2012 में दो और बैठकें आयोजित की गईं। यह दल स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता के समावेशन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शिक्षा बोर्ड से बातचीत कर रहा है।

IV.35 वित्तीय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है तथा इस दस्तावेज को व्यापक विचार-विमर्श के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। इस रणनीति में जनसंख्या के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चूँकि चुनौती बहुत बड़ी संख्या में वित्तीय रूप से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है, अत: आधार स्तर पर रणनीति का मूल ध्यान बुनियादी वित्तीय उत्पादों के के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना है। इस प्रयोजन के लिए, वित्तीय शिक्षा का प्रयास मुख्य रूप से पूरे देश में बड़े अभियान के माध्यम से देशी भाषा में वित्तीय समझदारी का सामान्य संदेश प्रसारित करना होगा, साथ ही बैंकों, बीमा, पेंशन निधियों तथा अन्यों के द्वारा वित्तीय समावेशन योजना को व्यापक स्तर पर फैलाना होगा। वित्तीय तौर पर शामिल लोगों अर्थात निम्न और मध्यम आय वर्ग तथा उच्च हैसियत वाले लोगों के लिए, वित्तीय साक्षरता का तात्पर्य बाजार और विभिन्न नए उत्पादों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाना है। इस रणनीति का उद्देश्य जागरुकता के जरिए ज्ञान प्रदान करना और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, विभिन्न प्रकार के उत्पादों तथा उनकी विशेषताओं की शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार में बदलने के लिए प्रवृत्तिगत परिवर्तन लाना तथा ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को समझाना भी है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र

IV.36 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2009 में बैंकों को सूचित किया था कि वे निशु:ल्क वित्तीय साक्षरता, शिक्षा तथा ऋण परामर्श प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित करें। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2012 के अंत तक 429 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। चूँकि यह योजना 3 वर्षों से चालू है, अत: यह निर्णय लिया गया कि इस योजना की प्रभावकारिता और देश में वित्तीय साक्षरता के प्रसार पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाए। तदनुसार, देशव्यापी सैम्पल सर्वेक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली पर एक अध्ययन किया गया। 16 शहरों में फैले 30 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों के अध्ययन से इस योजना की विभिन्न कमियों और सीमाओं का पता चला है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इन केंद्रों का संकेंद्रण, दूरदराज के क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चलाने के बजाय केवल स्वयं पहुंचने वाले ग्राहकों को ही सेवाएं देना, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों द्वारा प्रवर्तक बैंक से सम्यक दूरी बनाए रखने के बजाय उसके आदेशानुसार कार्य करना। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर तथा वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को कई गुना और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, मौजूदा योजना को संशोधित किया गया है और बैंको को सलाह दी गई है कि वे अग्रणी जिला प्रबंधकों के 630 से अधिक कार्यालयों में वित्तीय साक्षरता केंद्र बनाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 35,000 से अधिक ग्रामीण शाखाओं में भी वित्तीय साक्षरता संबंधी क्रिया-कलाप किए जाएं । सभी वर्तमान वित्तीय साक्षरता और ऋण केंद्रों सहित वित्तीय साक्षरता केंद्रों को अब वित्तीय साक्षरता केंद्र कहा जाएगा। बैंकों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानों में वित्तीय साक्षरता केंद्र बना सकते हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्रों से आशा की गई है कि वे साधारण संदेश के रूप में वित्तीय साक्षरता प्रदान करें, जैसे बैंकों के पास बचत रखनी चाहिए, बैंकों से उधार क्यों लेना चाहिए, यथासंभव आमदनी बढ़ाने वाले क्रियाकलापों के लिए ही क्यों उधार लेना चाहिए, क्यों समय पर चुकौती करनी चाहिए, क्यों अपना बीमा कराना चाहिए, क्यों सेवानिवृत्ति के लिए बचाना चाहिए। वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से यह भी आशा की गई है कि वे बाहर वित्तीय साक्षरता शिविर लगाएं जिसमें पूरा ध्यान वित्तीय रूप से वंचित लोगों पर हो तथा यह शिविर महीने में कम से कम एक बार लगाया जाए। चूँकि वित्तीय साक्षरता केंद्रों का लक्ष्य वित्तीय साक्षरता के साधारण संदेशों के प्रसार पर है, अतः किसी प्रकार की गलत जानकारी देने का जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए।

IV.37 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे बैंकिंग के लाभ उन लोगों तक पहुंच सकें जिनकी इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। परंतु यह कार्य बहुत बड़ा है और इस संबंध में प्रगति आवश्यकता से पीछे है। इस प्रकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और इसे मुख्य धारा में लाने की जरूरत है।